

कृषि मंत्रालय

मांग संख्या 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

क. वसूलियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार हैं:

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | संशोधित 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | | (करोड़ रुपए) | | | | |
|--|--------------------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|-------------------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|--------------|--------------|------|-----|-----|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | | |
| | राजस्व | 2450.80 | 2279.96 | 4730.76 | 3715.00 | 2429.39 | 6144.39 | 2500.00 | 2384.00 | 4884.00 | 3691.00 | 2629.00 | 6320.00 | पूँजी | ... | ... | ... |
| 1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं | 3451 | ... | 4.49 | 4.49 | ... | 5.81 | 5.81 | ... | 4.78 | 4.78 | ... | 6.11 | 6.11 | | | | |
| भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कृषि अनुसंधान और शिक्षा संबंधी अदायगियां (आईसीएआर) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. फसल कार्य | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के अंतर्गत उपकर की निवल प्राप्तियों की अदायगियां | 2415 | ... | 0.25 | 0.25 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.25 | 0.25 | ... | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 2.02 फसल कार्य के अन्य कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.01 फसल विज्ञान | 2415 | 375.00 | 682.93 | 1057.93 | 458.00 | 737.04 | 1195.04 | 369.35 | 712.11 | 1081.46 | 556.00 | 778.59 | 1334.59 | | | | |
| 2.02.02 बागवानी | 2415 | 149.00 | 269.40 | 418.40 | 200.00 | 290.96 | 490.96 | 139.35 | 287.48 | 426.83 | 214.00 | 324.80 | 538.80 | | | | |
| 2.02.03 कृषि विस्तार | 2415 | 540.00 | 3.53 | 543.53 | 522.00 | 3.75 | 525.75 | 459.00 | 3.76 | 462.76 | 570.00 | 3.91 | 573.91 | | | | |
| 2.02.04 कृषि शिक्षा | 2415 | 405.00 | 46.53 | 451.53 | 530.00 | 54.12 | 584.12 | 390.00 | 48.39 | 438.39 | 557.00 | 50.81 | 607.81 | | | | |
| 2.02.05 आर्थिक सांख्यिकी और प्रबंधन | 2415 | 6.00 | 33.10 | 39.10 | 30.00 | 37.28 | 67.28 | 15.50 | 35.03 | 50.53 | 20.00 | 37.68 | 57.68 | | | | |
| 2.02.06 कृषि इंजीनियरिंग | 2415 | 55.00 | 91.11 | 146.11 | 82.00 | 96.01 | 178.01 | 62.50 | 95.36 | 157.86 | 87.00 | 109.57 | 196.57 | | | | |
| 2.02.07 आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन | 2415 | 100.00 | 125.02 | 225.02 | 400.00 | 130.30 | 530.30 | 161.00 | 123.11 | 284.11 | 308.00 | 144.27 | 452.27 | | | | |
| 2.02.08 कृषि में मूल, कार्योजना और सीमांत एप्लीकेशन अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि | 2415 | 110.00 | ... | 110.00 | 121.00 | ... | 121.00 | 58.90 | ... | 58.90 | 130.00 | ... | 130.00 | | | | |
| 2.02.09 राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेष/वाह्य सहायता प्राप्त परियोजना | 2415 | 235.00 | ... | 235.00 | 99.00 | ... | 99.00 | 84.65 | ... | 84.65 | ... | ... | ... | | | | |
| 2.02.10 कृषि विश्वविद्यालय | 2415 | ... | ... | ... | 100.00 | ... | 100.00 | 10.00 | ... | 10.00 | 75.00 | ... | 75.00 | | | | |
| 2.02.11 बागवानी विश्वविद्यालय | 2415 | ... | ... | ... | 100.00 | ... | 100.00 | 10.00 | ... | 10.00 | 75.00 | ... | 75.00 | | | | |
| 2.02.12 कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान | 2415 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.00 | ... | 5.00 | 25.00 | ... | 25.00 | | | | |
| 2.02.13 बागवानी विश्वविद्यालय, हरियाणा | 2415 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.00 | ... | 5.00 | 25.00 | ... | 25.00 | | | | |

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2015-2016

(करोड़ रुपए)

| | मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | संशोधित 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | | |
|------------------|---|--------------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|-------------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------|
| | | आयोजना | आयोजना-मिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-मिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-मिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-मिन्न | जोड़ | |
| 2.02.14 | आईएआरआई जैसा मानद विश्वविद्यालय, असम | 2415 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.10 | ... | 0.10 | ... | ... | ... | |
| 2.02.15 | आईएआरआई जैसा मानद विश्वविद्यालय, झारखंड | 2415 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.10 | ... | 0.10 | ... | ... | ... | |
| | जोड़- फसल कार्य के अन्य कार्यक्रम | | 1975.00 | 1251.62 | 3226.62 | 2642.00 | 1349.46 | 3991.46 | 1770.45 | 1305.24 | 3075.69 | 2642.00 | 1449.63 | 4091.63 |
| | जोड़- फसल कार्य | | 1975.00 | 1251.87 | 3226.87 | 2642.00 | 1349.96 | 3991.96 | 1770.45 | 1305.49 | 3075.94 | 2642.00 | 1449.88 | 4091.88 |
| 3. | मृदा और जल संरक्षण | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | कृषि; वानिकी अनुसंधान सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान | 2415 | 175.00 | 320.42 | 495.42 | 200.00 | 347.64 | 547.64 | 157.50 | 346.57 | 504.07 | 220.00 | 383.83 | 603.83 |
| 3.02 | कृषि के अनुरूप जलवायु संबंधी पहल | 2415 | 70.00 | ... | 70.00 | 95.00 | ... | 95.00 | 62.50 | ... | 62.50 | 103.00 | ... | 103.00 |
| 3.03 | राष्ट्रीय अनुकूलन निधि | 2415 | ... | ... | ... | 90.00 | ... | 90.00 | 0.19 | ... | 0.19 | ... | ... | ... |
| | जोड़- मृदा और जल संरक्षण | | 245.00 | 320.42 | 565.42 | 385.00 | 347.64 | 732.64 | 220.19 | 346.57 | 566.76 | 323.00 | 383.83 | 706.83 |
| 4. | पशुपालन | 2415 | 189.98 | 465.50 | 655.48 | 215.00 | 477.73 | 692.73 | 152.50 | 482.41 | 634.91 | 233.00 | 515.50 | 748.50 |
| 5. | मास्तियकी | 2415 | 70.00 | 232.46 | 302.46 | 92.00 | 242.82 | 334.82 | 63.50 | 239.14 | 302.64 | 97.00 | 268.00 | 365.00 |
| | जोड़-कृषि अनुसंधान और शिक्षा संबंधी अदायगियां (आईसीएआर) | | 2479.98 | 2270.25 | 4750.23 | 3334.00 | 2418.15 | 5752.15 | 2206.64 | 2373.61 | 4580.25 | 3295.00 | 2617.21 | 5912.21 |
| 6. | राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ को सहायता अनुदान | 2415 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.00 | ... | 2.00 | 6.00 | ... | 6.00 |
| 7. | राष्ट्रमंडल कृषि व्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परामर्शी समूह तथा एथिया प्रशान्त कृषि अनुसंधान संस्थान एसोसिएशन को अंशदान | 2415 | 119.99 | 5.22 | 125.21 | ... | 5.43 | 5.43 | ... | 5.61 | 5.61 | ... | 5.68 | 5.68 |
| 8. | केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुदेलखण्ड | 2415 | ... | ... | ... | 10.00 | ... | 10.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 10.00 | ... | 10.00 |
| 9. | केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार | 2415 | ... | ... | ... | 10.00 | ... | 10.00 | 0.01 | ... | 0.01 | 10.00 | ... | 10.00 |
| 10. | पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान | 2552 | ... | ... | ... | 361.00 | ... | 361.00 | 289.35 | ... | 289.35 | 370.00 | ... | 370.00 |
| | जोड़-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद | | 2599.97 | 2275.47 | 4875.44 | 3715.00 | 2423.58 | 6138.58 | 2500.00 | 2379.22 | 4879.22 | 3691.00 | 2622.89 | 6313.89 |
| 11. | वास्तविक वसूलियां | 2415 | -149.17 | ... | -149.17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | कुल जोड़ | | 2450.80 | 2279.96 | 4730.76 | 3715.00 | 2429.39 | 6144.39 | 2500.00 | 2384.00 | 4884.00 | 3691.00 | 2629.00 | 6320.00 |
| | विकास शीर्ष | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | |
| ग. योजना परिव्यय | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग | 12415 | 2450.80 | ... | 2450.80 | 3354.00 | ... | 3354.00 | 2210.65 | ... | 2210.65 | 3321.00 | ... | 3321.00 |
| 2. | पूर्वोत्तर क्षेत्र | 22552 | ... | ... | ... | 361.00 | ... | 361.00 | 289.35 | ... | 289.35 | 370.00 | ... | 370.00 |

| जोड़ | विकास शीर्ष | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ |
|------|-------------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|
| | | 2450.80 | ... | 2450.80 | 3715.00 | ... | 3715.00 | 2500.00 | ... | 2500.00 | 3691.00 | ... | 3691.00 |

A. क. बजट आवंटन, कुल वसूलियां निम्नलिखित दी गई हैं :: इस मांग में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

के सचिवालय व्यय के लिए दी गई राशि के अलावा अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए अंशदान, भा.कृ.अ.प. को दी जाने वाली अनुदान सहायता के भुगतान की राशि शामिल है जो परिषद के नियंत्रण में संचालित अनेक अनुसंधान संस्थानों तथा राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना सहित अनेक अनुसंधान परियोजनाओं, स्कीमों तथा कार्यकलापों के व्यय की पूर्ति के लिए है। इस प्रावधान में कार्यरत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भा.कृ.अ.प. को कृषि उत्पाद उपकर निधि अधिनियम, 1940 के तहत उपकर की शुद्ध आमद (नैट प्रोसिड) का भुगतान शामिल है। परिषद द्वारा कृषि, मृदा तथा जल संरक्षण, पशु पालन, मात्स्यकी, डेरी, वानिकी, कृषि शिक्षा तथा विस्तार के क्षेत्र में अनुसंधान किया जा रहा है।